नई आज़ादी मासिक (मई 1995) **www.RajivDixit.com**

हिंदुस्तान यूनिलीवर के कारनामे : राजीव दीक्षित

लीवर ब्रदर्स से यूनी लीवर और यूनी लीवर से हिंदुस्तान यूनी लीवर की लूट खोरी को 75 वर्ष हो रहे हैं। अँग्रेजी शासन के दौरान 1920 में लीवर ब्रदर्स ने भारत में साबुन बेचने का धंधा शुरू किया था। हिंदुस्तान लीवर हमेशा से यह दावा करता रहा हैं कि भारत में साबुन बनाने की तकनीकी का निर्माण और विकास लीवर घराने ने ही किया हैं। यह दावा एकदम झूठ हैं क्योंकि लीवर ब्रदर्स के भारत में आने से पूर्व सन् 1920 के आस-पास स्वदेशी साबुन उद्योग का उत्पादन 20,000 टन प्रतिवर्ष के लगभग था। 1913-14 में स्वदेशी साबुन का उत्पादन लगभग 14,000 टन प्रतिवर्ष के आस-पास था। 1914 से 1920 तक मात्र 6 वर्षो में स्वदेशी साबुन उद्योग का उत्पादन 6000 टन बढ़ा। यह संभव हुआ स्वदेशी तकनीक के विकास के कारण। स्वदेशी साबुन उद्योग के इतिहास से पता चलता हैं कि 1897 में मेरठ में पहली आधुनिक साबुन फैक्ट्री लगी, जिसका नाम था 'नार्थ-वेस्ट सोप कंपनी' इसी के कुछ दिनों के बाद कानपुर में दूसरी फैक्ट्री लगी 'केसर सोप कंपनी' के नाम से। 1897 के पहले भी देश में साबुन का उत्पादन असंगठित रूप से जगह-जगह होता था। सन् 1920 के आते-आते गोदरेज सोप कंपनी, टाटा ऑइल मिल, स्वास्तिक ऑइल मिल आदि अनेक स्वदेशी कंपनियां साबुन उत्पादन के कार्य में लग चुकी थी। 1920 में देश में साबुन की कुल खपत 40,000 टन प्रतिवर्ष की थी। जिसमे से 20,000 टन साबुन उत्पादन संगठित क्षेत्र में होता था। इसका अर्थ है कि 1920 तक भारत साबुन उत्पादन में आत्मनिर्भर था। तो फिर लीवर ब्रदर्स का भारतीय बाजार में प्रवेश कैसे हुआ? पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से ही यूनी लीवर (लीवर ब्रदर्स) भारत में साबुन बेचने की कोशिश कर रहा था लेकिन भारतीय बाज़ार में विदेशी साबुन बिकता ही नहीं था क्योंकि उन दिनों पूरे देश में स्वराज आंदोलन चल रहा था। ऐसी परिस्थिति में युनीलीवर ने अंग्रेज़ सरकार से अनुरोध किया कि देश की सबसे बड़ी स्वदेशी साबुन की फैक्ट्री नार्थ-वेस्ट-सोप कंपनी को बंद करा दिया जाए या फिर यूनीलीवर को इस स्वदेशी कंपनी को खरीदने की इजाजत दी जाए। अँग्रेजी सरकार ने बहुत आसानी से यह इजाजत दे दी और फिर यूनीलीवर ने नार्थ वेस्ट सोप कंपनी (मेरठ) पर कब्जा कर लिया। यूनीलीवर ने नार्थ वेस्ट सोप कंपनी पर कब्जा करने के बाद उसे पूरी तरह बंद कर दिया। इस तरह देश में साबुन उत्पादन में कमी आयी और उस कमी को पूरा करने के

लिए यूनीलीवर ने इंग्लैंड से आयातित साबुन को भारतीय बाज़ार में बेचना शुरू किया। नार्थ वेस्ट सोप कंपनी के बंद हो जाने के बाद स्वदेशी साबुन का उत्पादन घट कर लगभग आधा रह गया। इस साजिश के सफल हो जाने पर यूनीलीवर ने भारतीय बाजार में पैर जमाना शुरू किया। उल्लेखनीय हैं कि यूनीलीवर ने नार्थ वेस्ट सोप कंपनी के मालिकों को किसी भी तरह का कोई मुआवजा नहीं दिया।

सन् 1920 से लेकर 1930 तक भारतीय बाज़ार में यूनीलीवर का एकाधिकार स्थापित करने के लिए अँग्रेजी सरकार द्वारा तरह-तरह की कोशिशें की गई। उदाहरण के लिए देश में बनाने वाले स्वदेशी साबुन पर टैक्स बढ़ाना और बाहर से आयात होने वाले साबुन पर नाममात्र का कर लगाना। इसके चलते स्वदेशी साबुन महंगा और विदेशी साबुन सस्ता होता था। अँग्रेजी सरकार की इसी नीति का फायदा उठाते हुए 1931 में जर्मनी और जापान की कुछ कंपनियों ने भी भारतीय बाज़ार में साबुन बेचना शुरू कर दिया। क्योंकि बाहर से आयातित साबुन पर न्यूनतम कर लगता था। इसलिए जर्मन और जापानी साबुन यूनीलीवर के साबुन को कड़ी चुनौती देने लगे। 1931 के समाप्त होते-होते यूनीलीवर के साबुन की बिक्री में काफी कमी आई क्योंकि जर्मनी और जापान का साबुन यूनीलीवर के साबुन की तुलना में सस्ता और अच्छा होता था। ऐसी परिस्थिति में यूनीलीवर के अधिकारियों की मार्च 1931 में अँग्रेजी सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में इस बात पर गंभीर चर्चा हुई कि किस तरह जर्मन और जापानी साबुन को भारतीय बाज़ार में प्रवेश करने से रोका जाय। अँग्रेजी सरकार के अधिकारियों ने बैठक के तुरंत बाद ही एक नई नीति की घोषणा की जिसके अनुसार बाहर से आने वाले आयातित साबुन पर 25% सीमा शुल्क (टैरिफ) बढ़ा दिया गया। इस नीति की घोषणा के बाद यूनीलीवर के अधिकारियों ने फैसला किया कि अब बाहर से साबुन आयात करना घाटे का सौदा हैं, इसलिए भारतीय जमीन पर ही उत्पादन का कार्य शुरू किया जाए ताकि बढ़े हुए सीमा शुल्क की मार से बचा जा सके। इसी के तहत 1933 में बम्बई और कलकत्ता में यूनीलीवर ने साबुन उत्पादन के लिए दो कारखाने खोले। कलकत्ता वाले कारखाने में यूनीलीवर ने 25000 रु. की पूंजी लगाई और बम्बई वाले करखाने में 1,50,000 रु. की पूंजी लगायी। इससे स्पष्ट होता है कि यूनीलीवर ने जर्मन और जापानी कंपनियों के दबाव में आकर ही भारत में उत्पादन केंद्र खोलने का निर्णय लिया।

आजादी मिलने के बाद कुटीर उद्योग और छोटे उद्योग के विकास पर अधिक ध्यान देना शुरू किया गया। 1953 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना हुई और 1954 में लघु उद्योग आयोग की स्थापना हुई। इसके अलावा केन्द्र सरकार द्वारा यह नीति बनाई गई कि जिन वस्तओं का उत्पादन कुटीर उद्योग अथवा लघु उद्योगों में हो सकता हैं, उनका उत्पादन बड़े और संगठित उद्योग नहीं करंगे। इन सभी का नतीजा कुल मिलाकर यह हुआ कि 1953 में जहां संगठित उद्योग क्षेत्र में साबुन का उत्पादन 1 लाख टन था तो वहीं असंगठित उद्योग क्षेत्र में 1 लाख 20 हजार टन था। संगठित उद्योग क्षेत्र के एक लाख टन के उत्पादन में यूनीलीवर का हिस्सा 60 हजार टन का था जबकि बाकी 40 हजार टन में टाटा ऑइल, मैसूर सोप फैक्ट्री, गोदरेज आदि कंपनियों की हिस्सेदारी थी। 1957 के आस-पास सरकारी आकड़ों के अनुसार देश में 63 स्वदेशी उत्पादन इकाइयां साबुन का उत्पादन कर रही थी। इन इकाइयों की उत्पादन क्षमता 1 हजार टन से लेकर 50 हजार प्रतिवर्ष की थी। इस दौर में यूनीलीवर की मात्र 2 इकाइयाँ ही उत्पादन में लगी हुई थी। 1947 में यूनीलीवर का साबुन उत्पादन 21,625 टन था जो 1955 में बढ़कर 60 हजार टन हो गया। यह कैसे संभव हुआ? 1947 में यूनीलीवर ने अपने साबुन के दाम घटाने शुरू किए क्योंकि 1947 से पहले यूनीलीवर को जो अँग्रेजी सरकार का पूरा संरक्षण और समर्थन मिला हुआ था, वह 1947 के बाद खत्म हो गया। अत: बाजार में टिके रहने के लिए जरूरी था कि यूनीलीवर अपने साबुन का दाम घटाएँ, भले ही मुनाफा कम हो या कुछ दिनों तक घाटा ही होता रहे। दूसरे, यूनीलीवर ने अपने साबुन की क्वालिटी को भी काफी गिरा दिया और विज्ञापनबाजी पर अधिक पैसा खर्च करना शुरू किया।

1960 में अचानक केंद्र सरकार की विदेशी कंपनियों से संबन्धित नीतियो में कुछ परिवर्तन हुए, 1960 के पहले जिन विदेशी कंपनियों को अछूत माना जाता था, उनके प्रति केन्द्र सरकार ने सद् भाव दिखाना शुरू किया। केन्द्र सरकार का कहना था कि देश में विदेशी कंपनियों को कुछ रियायते देनी होंगी जिससे कि वे कंपनियाँ विदेशी मुद्रा कमा कर भारत में ला सकें। तदनुरूप केन्द्र सरकार की नीतियों में संशोधन किए गए।

केन्द्र सरकार के इस फैसले से यूनीलीवर को काफी लाभ हुआ। क्योंकि कई तरह की रियायतें यूनीलीवर को दी गयी। उदाहरण के लिये यूनीलीवर को एक वर्ष में 33000 टन साबुन उत्पादन का लाइसेंस दिया गया था लेकिन यूनीलीवर लगभग 60 हजार टन साबुन उत्पादन कर रही थी। केन्द्र सरकार की विदेशी कंपनियों को रियायत देने की नीति 1966 तक चली।

अप्रैल 1967 में केन्द्र सरकार द्वारा विदेशी कंपनियों के प्रति नीतियों में फिर परिवर्तन किया गया, जिसके तहत साबुन उत्पादन का कार्य छोटे उद्योगों के लिये आरक्षित कर दिया गया। इसका तत्काल असर यहा हुआ कि देश में साबुन उत्पादन की इकाइयों की संख्या बढ़कर 2148 तक पहुँच गई और 1973-74 तक तो यह संख्या बढ़कर 3,725 हो गई। 1969 में एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार कानून (एम.आर.टी.पी.) संसद से पारित हुआ और फिर 1970 में लाइसेंस नीतियों को भी पूरी तरह बदल दिया गया। यह दौर देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को महत्व और संरक्षण देने का था। बीस करोड़ रु से अधिक पूंजी वाले उद्योगों को ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करने से रोक दिया गया जो छोटे एवं कुटीर उद्योगों में बन सकती थी। ऐसी 126 वस्तुओं की सूची बनाई गई जिनका उत्पादन सिर्फ कुटीर एवं लघु उद्योगों में ही आरक्षित कर दिया गया। 1974 में विदेशी मुद्रा विनिमय कानून (फेरा) बना।

इस दौर की इन सभी नीतियों की मार यूनीलीवर कंपनी पर व्यापक रूप से पड़ी और फिर इस मार से बचने के लिये यूनीलीवर ने अपनी रणनीति में कई परिवर्तन किए। इसी दौर में यूनीलीवर का नाम बदल कर हिंदुस्तान लीवर किया गया। एम.आर.टी.पी. और लाइसेंसिंग के नए कानून बन जाने के बाद हिंदुस्तान लीवर कंपनी साबुन उत्पादन का काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि यह काम छोटे उद्योगों के लिये आरक्षित कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान लीवर ने साबुन का काम ठेके पर करना शुरू किया और अपने ब्राण्ड नामों से उसे बाज़ार में बेचना शुरू कर दिया। अब हिंदुस्तान लीवर के लिये साबुन उत्पादन का काम देश के स्वदेशी लघु उद्योगों में होने लगा।

<u>हिंदुस्तान लीवर की भारतीय प्रशासन में घुसपैठ</u>

हिंदुस्तान लीवर ने देश की राजनीति और नौकरशाही में जबरदस्त घुसपैठ कर रखी हैं। देश के प्रधानमंत्री को विज्ञान और तकनीकी के मामलों में सलाह देने वाली काउंसिल में पिछले कई वर्षो से हिंदुस्तान लीवर के अधिकारियों को शामिल किया जाता रहा हैं। स्व. राजीव गांधी के समय में तो इस काउंसिल का अध्यक्ष, हिंदुस्तान लीवर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ही बनाया गया था। 1959 में हिंदुस्तान लीवर को डिटर्जेंट पाउडर बनाने की अनुमति दी गई थी। उसी साल में जब टाटा ऑइल मिल कंपनी ने डिटेर्जेंट पाउडर बनाने के लाइसेन्स के लिए आवेदन किया तो साफ मना कर दिया गया और यह हिंदुस्तान लीवर के इशारे पर हुआ। 1960 के बाद डिटर्जेंट पाउडर के उत्पादन

को उस समय की तात्कालिक सीमा से बढ़ाने पर रोक लगा दी गई, लेकिन 1963 में जब हिंदुस्तान लीवर ने अपनी लाइसेन्स क्षमता से 8000 टन अधिक डिटर्जेंट का उत्पादन किया तो सरकार ने अपनी घोषित नीति को वापस ले लिया। इस बात की शिकायत स्वस्तिक ऑइल मिल द्‌वारा की गई तो सरकारी अधिकारियों ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की और तो और इस मामले को दबा भी दिया गया। 1972 में एम.आर.टी.पी. कमीशन द्‌वारा हिंदुस्तान लीवर पर एक जांच आयोग बैठाया गया। आयोग द्‌वारा हिंदुस्तान लीवर की कारगुजारियों पर कई आपत्ति दर्ज कराई गई लेकिन केंद्र सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। अभी हाल में एम.आर.टी.पी. कमीशन में हिंदुस्तान लीवर द्‌वारा टाटा ऑइल मिल और गोदरेज सोप कंपनी पर कब्जा करने के खिलाफ एक मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे में हिंदुस्तान लीवर के ट्रेड यूनियन भी हिंदुस्तान लीवर के खिलाफ थी, इसके बावजूद हिंदुस्तान लीवर की मुकदमे में जीत हुई और शेयर बाज़ार में उसकी स्थिति और भी मजबूत हो गई।

हिंदुस्तान लीवर ने उस साबुन की पैकिंग करके बाज़ार में बेचने का धन्धा शुरू कर दिया। इस नए भारतीय कानूनों में भी सेंध लगाने का काम हिंदुस्तान लीवर ने चालू कर दिया। 70 के दशक में पुणे, औरंगाबाद और बंगलौर में तीन ऐसे कारखाने थे, जो हिंदुस्तान लीवर के लिये बिना किसी लाइसेंस के साबुन उत्पादन का कार्य करते थे। इन तीनों कारखानो में काम करने वाले मजदूरो को एक दिन में न्यूनतम 7 रु से लेकर अधिकतम 13 रू. तक की मजदूरी दी जाती थी जबकि श्रम कानून के अनुसार औद्योगिक इकाई में न्यूनतम मजदूरी की दर 24 रू. थी।

हिंदुस्तान लीवर की 1993-94 की रिपोर्ट के कुछ तथ्य			
कुल बिक्री	-	2436	करोड़ रुपये
लाभ	-	240	-----/-----
निर्यात की आय	-	255	-----/-----
आयात पर खर्चा	-	262	-----/-----
विज्ञापन पर खर्च	-	100	-----/-----

1977 में केंद्र सरकार के बदलने के बाद विदेशी कंपनियों के प्रति और अधिक सख्त रवैया अपनाया गया। 807 वस्तओं को लघु उद्योगों के लिए पूरी तरह से आरक्षित कर दिया जबकि 1977 से पहले इन आरक्षित वस्तुओं की संख्या मात्र 126 थी। इसी दौर में कोका-कोला, आई.वी.एम. और आई.सी.एल. जैसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश से बाहर निकाला गया। 1980 में फिर से केन्द्र सरकार में परिवर्तन हुआ और इस सरकार ने लघु उद्योगों के लिए आरक्षित सूची को बढ़ाकर 834 कर दिया।

1980 के शुरू में ही देश का आर्थिक तंत्र डगमगाने लगा। पहली बार 1980-81 में केंद्र सरकार की कुल राजस्व आय से अधिक खर्चों का दौर शुरू हुआ। 1980-81 में केंद्र सरकार की कुल राजस्व आय 12829 करोड़ रु. थी जबकि खर्चा 14543 करोड़ रुपये का था। आमदनी से अधिक खर्च करने की यह प्रवृति 1980 के बाद बढ़ती ही गई। 1984 में कुल राजस्व आमदनी से खर्चा 20% अधिक हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से 5.6 अरब डॉलर का कर्ज लेना पड़ा। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का कर्ज आया तो उसके साथ ही बहुत सी शर्ते आयी और इन शर्तो के तहत देश की अर्थव्यवस्था का दरवाजा विदेशी कंपनियों के लिए खोलना शुरू किया गया। तरह-तरह की छूट इन कंपनियों को मिलने लगी, धीरे-धीरे पाबन्दियाँ कम होने लगी। 1991 में तो नई आर्थिक नीति के नाम पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऊपर से सारे प्रतिबंध हटा लिए गए। एम.आर.टी.पी., फेरा तथा लाभांश को देश से बाहर ले जाने के संबंध आदि से संबन्धित कानूनों को समाप्त कर दिया गया और शुरू किया गया एक जंगल राज , जहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए न तो कोई कानून है और न ही कोई प्रतिबंध। लूट की

खुली छूट मिली हुई हैं। इसका नतीजा यह हैं कि आज हिंदुस्तान लीवर का देश के 90% साबुन बाजार पर कब्जा हो गया है। चूंकि एकाधिकार अवरोधक व्यापार कानून (एम.आर.टी.पी.) उतना प्रभावशाली नहीं रह गया है इसलिए हिंदुस्तान लीवर ने टाटा ऑइल मिल और गोदरेज सोप कंपनी पर भी कब्जा कर लिया है।

विदेशी कंपनियाँ जब आती हैं तो अपने साथ भारी मात्रा में पूंजी लेकर आती हैं, यह बड़ा भारी धोखा हैं। ऊपर कहा जा चुका हैं कि 1920 में हिंदुस्तान लीवर (पूर्वनाम: यूनीलीवर या लीवर ब्रदर्स) ने इंग्लैंड से साबुन लाकर भारतीय बाजार में बेचने का धंधा शुरू किया। इस कार्य में हिंदुस्तान-लीवर ने जो भी पैसा लगाया हो उसे पूंजी निवेश नहीं माना जा सकता। इस व्यापार के शुरू होने के 13 वर्षों के बाद हिंदुस्तान लीवर ने 1933 में अपने दो कारखाने बम्बई और कलकत्ता में लगाए। बम्बई वाले कारखाने में 25 हजार रुपये की पूँजी लगाई। इस तरह यूनीलीवर का भारत में पूँजी निवेश 1.75 लाख रुपये का रहा। बाद में यूनीलीवर की इंग्लैंड शाखा ने भारत में यूनीलीवर के 24 लाख रुपये के शेयर और खरीदे। इस तरह यूनीलीवर का भारत में कुल पूँजी निवेश मात्र 25.75 लाख रुपये का है। लेकिन आज यूनीलीवर की भारत में संपत्ति 500 करोड़ रुपये से भी अधिक की है। तब सवाल यह है की 499.25 करोड़ रुपये की संपत्ति जो कि यूनीलीवर के कब्जे में है, वह देश के लोगों की जेब से गई है। इससे भी बड़ा सवाल अब यह होना चाहिए कि अब तक यूनीलीवर ने जो मुनाफा देश से बाहर भेज दिया है वह कितना है? यूनीलीवर सहित तमाम अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में यह जानने की जरूरत है कि ये कंपनियाँ पूँजी निवेश के नाम पर कितना लेकर आयी? और मुनाफे के नाम पर कुल कितनी पूँजी देश से बाहर ले गई?

हिंदुस्तान लीवर के देश भर में कहाँ-कहाँ कारखाने/फेक्टरी है?

स्थान	शहर प्रदेश
जम्मू	जम्मू-कश्मीर
उरई	उत्तर प्रदेश
सुमेरपुर	उत्तर प्रदेश
डब ग्राम	प. बंगाल
कलकत्ता	प. बंगाल
हल्दिया	प. बंगाल
संदेशखाली	प. बंगाल

छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश
खाम गाँव	महाराष्ट्र
यवतमाल	महाराष्ट्र
तलोजा	महाराष्ट्र
बम्बई	महाराष्ट्र
मद्रास	तमिलनाडू
तंजापुर	तमिलनाडू
पांडिचेरी	तमिलनाडू
बंगलोर	कर्नाटक
मंगलोर	कर्नाटक
मरुंगुर	तमिलनाडू
कन्याकुमारी	तमिलनाडू